बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)

राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजनार्थ सहायता राशि

विज्ञापन

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 (वर्ष 2017–2018 के विज्ञापन में अंकित जमा करने की तिथि 20.12.2017 से 31.01.2020 की अवधि) में खेल **प्रतियोगिता आयोजन** हेतु सहायता राशि के स्वीकृति का प्रावधान है। इस मद् से राशि स्वीकृति हेतु निम्नलिखित पात्रता वाले राज्य खेल संघों से दिनांक 25.02.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कमरा नं0–324, तृतीय तल, विकास भवन, पटना–800015 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के माध्यम से आवदेन आमंत्रित किया जाता है:–

1.(i) भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त/भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना में सम्मिलित खेल विधा के राज्य खेल संघ इस सहायता राशि के पात्र होंगे।

(ii) सहायता राशि हेतु खेल संघों को निम्नांकित पात्रता रखना आवश्यक होगा :–

(क) संबंधित राज्य संघ की कम से कम 15 जिला ईकाई हो।

(ख) राज्य खेल संघों को बिहार खेल–कूद (खेल–कूद संगमों का रजिष्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निबंधित एवं सम्बद्धता प्राप्त होना अनिवार्य है।

(ग) संबंधित खेल संघ सूचना के अधिकार नियमावली, 2005 के आलोक में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपने अपने खेल संघ में लोक सूचना पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार नामित करेंगे तथा इसकी सूचना राज्य सूचना आयुक्त, बिहार तथा निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, बिहार को उपलब्ध करायेंगे।

(घ) राज्य खेल संघ या फेडरेशन विवादित नहीं हो। फेडरेशन विवादित होने की स्थिति में भारतीय ओलम्पिक संघ या भारत सरकार तथा राज्य संघ के विवादित होने की स्थिति में गैर विवादित फेडरेशन के द्वारा दी जाने वाली मान्यता मान्य होगी।

(ड.) राज्य खेल संघ का अपना बायलॉज हो तथा बायलॉज के अनुकूल निर्धारित समय पर चुनाव हुआ हो। साथ ही संघ के राज्य/जिला ईकाई के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों को मान्यता प्राप्त जिला ईकाईयों का नाम पोषित हो।

(च) संघ का बैंक एकाउन्ट हो तथा अपना पैन नम्बर हो, साथ ही आयकर रिटर्न भरा जाता हो। पूर्व में यदि सहायता राशि सरकार से प्राप्त हुई हो तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय जमा किया गया हो।

(छ) संबंधित संघ द्वारा जारी वार्षिक खेल कार्यक्रम की सूचना ससमय राज्य सरकार को दी जाती हो।

(ज) सहायता राशि हेतु दिये गये आवेदन में संबंधित आयोजन का प्रस्तावित बजट संलग्न हो, जिसमें आमदनी मद् में प्रतियोगिता हेतु ओलम्पिक संघ, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, फेडरेशन अथवा अन्य प्रायोजको से प्राप्त होने वाली सहायता राशि का विवरण अंकित हो।

(झ) राज्य खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या व्यक्तिगत्/दलीय खेलों में न्यूनतम क्रमशः 100/500 होनी चाहिए।

(ञ) सहायता राशि प्राप्त करने वाले संघ को प्रतियोगिता के दौरान सहायता राशि एवं प्रायोजक के रूप में विभाग का नाम, विभाग द्वारा निर्धारित साईज का बैनर प्रदर्शित करना होगा।

(ट) सहायता राशि प्राप्त करने वाले संघ को पिछले तीन वर्षों का राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता एवं आयोजन का प्रमाण निम्न प्रपत्र में देना है :–

क्र.	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन स्थल	आयोजन तिथि	प्रतिभागी जिला/राज्य की संख्या	प्रतियोगी की संख्या	उद्‌घाटनकर्ता एवं समापनकर्ता का नाम एवं पदनाम	समाचार पत्र की कटिंग, सी0डी0, फोटो सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ठ) आवेदन पत्र प्रमंडलीय उप निदेशक/अधीक्षक, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध करना होगा।

नोट– 1. **किसी प्रकार के स्मृति/आमंत्रण प्रतियोगिता तथा गैर आधिकारिक प्रतियोगिता के लिए सहायता राशि देय नहीं होगी।**

2. उपरोक्त पात्रता से संबंधित सभी अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3. पूर्व में प्राप्त सहायता राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा।

4. अपूर्ण/अधूरा भरे आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) सहायता राशि गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत की जायेगी। प्रतियोगिता आयोजन हेतु सहायता राशि के लिए निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा:–

(1) संघ का नाम –
(2) सचिव का नाम एवं दूरभाष संख्या –
(3) पैन नंबर –
(4) विगत् दो वितीय वर्ष का समपरीक्षित लेखा की छायाप्रति :–
(5) विगत् दो वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति :–
(6) कार्यालय का पूरा पता –
(7) ईमेल आई.डी. –
(8) वेबसाईट का नाम –
(9) खेल जिसका आयोजन किया जाना/किया गया है –
(10) भाग लेने वाले जिला/राज्य/देश की संख्या –
(11) कुल खिलाड़ियों (बालक/बालिका/तकनीकी पदाधिकारी) की अनुमानित संख्या –
(12) कुल प्रस्तावित व्यय/व्यय की गयी राशि –
(13) अन्य स्त्रोतों से यदि इस प्रयोजनार्थ – कोई वित्तीय सहायता ली गयी हो तो प्राप्त सहायता का पूर्ण ब्योरा
(14) अन्य कोई संबंधित सूचना –

दिनांक–
स्थान– आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद् द्वारा निश्चयपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर लिखा गया ब्योरा सही है।

दिनांक– आवेदक का हस्ताक्षर
नाम :–

28.07.20

(डॉ0 संजय सिन्हा),भा.प्र.से
निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

D-letter work 2020 pk 131